भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 339

उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025

3 चैत्र, 1947 (शक)

खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

†*339. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय खिलाड़ियों के कल्याण के लिए कोई योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त स्तर के खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी योजनाएं' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा दिनांक 24/03/2025 को पूछा गया लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 339 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खिलाड़ियों के कल्याण सहित खेलों के संवर्धन और विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों का है। तथापि, केंद्र सरकार (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय) देश भर में कार्यान्वित अपनी विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों/ कार्यक्रमों के माध्यम से उनके प्रयासों में सहायता करती है, अर्थात्,

(i) 'खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम' जो खिलाड़ियों/कोचों प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के दौरान लगी चोटों के उपचार, खिलाड़ियों के कल्याण, खेल उपकरणों की खरीद और स्पर्धाओं आदि में भागीदारी के लिए और आर्थिक बदहाली में रह रहे उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ii) "मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि स्कीम" सक्रिय खेल करियर से संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को 12,000/- रु. से 20,000/- रु. प्रति माह तक की आजीवन पेंशन के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत सक्रिय खेल करियर से संन्यास ले चुके और ओलंपिक खेलों, पैरालिंपिक खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, पैरा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी आजीवन पेंशन के पात्र हैं।

(iii) मंत्रालय ने 29.08.2024 को खेलों से संन्यास ले चुके खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण (आरईएसईटी) कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को उनके करियर विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें इंटर्नशिप के साथ उनकी शैक्षणिक वृद्धि के लिए तदनुकूल शिक्षा प्रदान करना और उन्हें उपयुक्त करियर विकल्प के योग्य बनने हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना है। आरईएसईटी कार्यक्रम का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में मौजूदा मानव संसाधन संबंधी कमियों को दूर करना भी है।

उपर्युक्त स्कीमों/कार्यक्रमों का विवरण खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी स्कीमों/कार्यक्रमों पर खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है: -

	स्कीम का नाम	व्यय	
1.	मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन के लिए खेल निधि स्कीम	वित्तीय वर्ष	मात्रा (₹)
		2021-22	6.70 करोड़
		2022-23	4.70 करोड़
		2023-24	5.54 करोड़

		2024-25 (21.03.2025 तक)	3.83 करोड़
2.	खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम	2021-22	1.57 करोड़
		2022-23	1.07 करोड़
		2023-24	1.07 करोड़
		2024-25 (21.03.2025 तक)	0.65 करोड़
		कुल योग	25.13 करोड़

*****